



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2018/माघ 19, 1939

No. 53]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2018/MAGHA 19, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

सं. 12/01/2010/प्रशासन-एफ.एस.एस.ए.आई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई), केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने कि संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतिया, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित कि जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को या estt@fssai.gov.in के ई-मेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप विनियम

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ—(क) इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भर्ती एवं नियुक्ति) विनियम, 2018 के नाम से जाना जाएगा।

(ख) ये विनियम राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(ग) यह विनियम इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो, -

क- “अधिनियम” का अर्थ है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)।

ख- “केन्द्र सरकार” का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से है;

ग- “आयु” से अर्थ अनुसूची में वर्णित उच्चतम आयु सीमा से है।

घ- “नियोक्ता एवं अनुशासकीय प्राधिकारी” खाद्य प्राधिकरण के तहत किसी भी पद के संदर्भ में अर्थ है,-

- i. सभी समूह “क” स्तर 14 एवं उच्चतर(144200-218200) के पदों के संबंध में अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, परन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर।
- ii. सभी समूह “क” स्तर 14 (144200-218200) से कम के पदों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण।
- iii. सभी समूह “ख” के पदों के संबंध में कार्यपालक निदेशक (पूर्व में, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी); और
- iv. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा प्रयोगशालाओं में समूह “ग” में आने वाले एवं समकक्ष सभी स्वीकृत पदों के संबंध में मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रयोगशालाओं में स्थित स्थापना अनुभाग के प्रभारी निदेशक।

(ङ) “अध्यक्ष” से अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष;

(च) “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” से अर्थ है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(छ) “उम्मीदवार” से अर्थ उस व्यक्ति से है जो कि इन विनियमों के अन्तर्गत वर्णित अनुसूची में किसी पद पर विचार करने के लिए पात्र है;

(ज) “अनुबंध कर्मचारी” से अर्थ उस कर्मचारी से है जिसका सेवामुहता निर्धारित समयावधि के लिए अनुबंध पर आधारित है;

(झ) “समिति” से अर्थ है इन विनियम के तहत अनुसूची या विशिष्ट प्रावधानों में निर्दिष्ट खोज और चयन समिति, विभागीय पदोन्नति समिति, स्क्रीनिंग या विशेषज्ञ समिति या आकलन बोर्ड सहित से हैं;

(ञ) “सीधी भर्ती” से अर्थ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या अनुबंध के आधार पर द्वारा की गई किसी नियुक्ति के अलावा नियुक्ति से है।

(ट) “प्रतिनियुक्ति” से अर्थ उस नियुक्ति प्रक्रिया से है जिस के तहत केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों या उपक्रमों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में पद(ओं) पर नियुक्त किया जाता है।

(ठ) “खाद्य प्राधिकरण” से अर्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत स्थापित निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से है और संक्षिप्त में ‘प्राधिकरण’ है।

(ड) “परिबीक्षा” से अर्थ है कि किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति अनुसूची में उल्लेखित निर्धारित अवधि के लिए परिबीक्षा पर होगा।

(ढ) “मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शैक्षिक बोर्ड” का अर्थ है कि भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत स्थापित किया गया कोई भी विश्वविद्यालय या बोर्ड और / या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त या इस के उद्देश्य के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत कोई संस्था से है;

(ण) “लघु अवधि के अनुबंध” का अर्थ है किसी भी गैर सरकारी संस्था, जैसे विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों की प्राधिकरण में एक विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति।

(त) इन विनियमों में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग हुआ है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ क्रमशः भारत सरकार द्वारा जारी नियमों / विनियमों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (क्रमशः 2006का 34) के अनुसार सामान्य नियम अधिनियम, 1897 (1897का 10) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निहित अर्थ से होगा।

बध्याय-2**पदों का वर्गीकरण**

3. प्रारंभिक गठन - वे सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति खाद्य प्राधिकरण में इन विनियमों से पूर्व नियमित आधार पर की जा चुकी है, उन सभी की नियुक्ति इन विनियमों के तहत मानी जाएगी एवं उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्ती एवं अन्य सेवा शर्तों के लाभ के लिए माना जाएगा।

4. पदों का वर्गीकरण-खाद्य प्राधिकरण में पदों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है: -

क्र.सं	वर्गीकरण	पदों का वर्गीकरण
1	वेतन स्तर 10 और उस से उच्च पद	समूह "क"
2	वेतन स्तर 6 से 9 तक के पद	समूह "ख"
3	वेतन स्तर 1 से 5 तक के पद	समूह "ग"

5. पद, संवर्ग, वर्गीकरण एवं वेतन मान-

(क) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में तीन संवर्ग होंगे, अर्थात्, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग; प्रशासनिक एवं वित्तीय संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विशेषीकृत सेवाओं का संवर्ग।

(ख) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एवं लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात्, आवश्यकता एवं योग्य उम्मीदवारों के उपलब्धता के आधार पर पद स्तर 11 से 13 को सभी संवर्ग और स्तर के पदों का सामान्य समुच्चयन बनाया जा सकता है।

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में समूह "क" एवं समूह "ख" के सभी पदों का संवर्ग प्रबंधन का कार्य केन्द्रिय रूप से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्यालय में किया जाएगा।

(घ) समूह "ग" के पदों का संवर्ग प्रबंधन मुख्यालय द्वारा ही किया जाएगा जब तक कि उक्त पदों के संबंध में यह कार्य क्षेत्रीय मुख्यालयों और प्रयोगशालाओं के संबंधित क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजित नहीं कर दिया जाता है।

(ङ.) पदों का वर्गीकरण एवं वेतन मान का विवरण इस विनियम के साथ संलग्न अनुसूची में वर्णित है।

(6) पदों का सृजन:

(क) खाद्य प्राधिकरण समय-समय पर प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक वर्णित पदों की संख्याओं को निर्धारित करेगा।

(ख) निम्न सारणी के अनुसार स्तंभ (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट विवरण के प्राधिकरण में नए या अतिरिक्त पदों का निर्माण करने का अधिकार होगा।

सारणी

प्राधिकारी	वर्ग
क	ख
केन्द्र सरकार	वेतन स्तर 10 एवं उच्चतर पद
खाद्य प्राधिकरण	वेतन स्तर 1 से 9 तक के सभी पद

(ग) इन विनियमों में निहित कुछ भी प्रावधान होने के बावजूद, जब एक नये पद का सृजन किया जाएगा तो प्राधिकारी के द्वारा ऐसे पदों का सृजन करते समय विशेष रूप से पद का वेतन मान (जो कि प्राधिकरण के द्वारा अपनाए गये मानक वेतनमान से भिन्न नहीं होगा), नियुक्ति करने का तरीका और योग्यता एवं आयु-सीमा का उल्लेख यदि लागू हो तो निर्दिष्ट किया जाएगा। इस के बाद ही इन पदों को उनके उपयुक्त वर्ग की सारणी में शामिल किया जाएगा।

7. खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति की सामान्य शर्तें- उप विनियम "क" से "च" तक की सामान्य शर्तें खाद्य प्राधिकरण में होने वाली सभी नियुक्तियों पर समान रूप से लागू होंगी।

(क) खाद्य प्राधिकरण नियुक्ति एवं पदोन्नती की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा।

(ख) इन विनियमों में कोई प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्राप्त होने वाली आरक्षण, आयु-सीमा में रियायत एवं अन्य सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेगा;

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। विभागीय उम्मीदवारों के लिये सीधी भर्ती में किसी भी पद के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी;

(घ) कोई भी व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए तब ही पात्र होगा जब कि वह,-

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा सरकार के अधीन सेवा के लिए नियुक्ति के लिए पात्र अधिसूचित नागरिकता के किसी भी अन्य श्रेणी से हो:

किसी व्यक्ति को नागरिकता के अन्य वर्ग के रूप में तभी माना जाएगा जब भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पात्रता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

(ङ) ऐसे किसी भी व्यक्ति को खाद्य प्राधिकरण में नियुक्ति नहीं दी जाएगी यदि वह निम्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है:

(i) वह एक अच्छा नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति है और किसी भी अपराध के लिए पूर्व में दोषी नहीं ठहराया गया है।

(ii) उसे किसी भी सरकारी या सार्वजनिक उद्यम या निजी नौकरी या किसी अन्य संगठन से नैतिक अधर्म या गलत तरीके से दुर्व्यवहार के आधार पर पदच्युत या निष्काषित या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त या अन्यथा न किया गया हो।

(च) (i) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि, -

(i) जिसने एक पति या पत्नी के रहने वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली हो या अनुबंध विवाह किया हो; या

(ii) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी या अनुबंध विवाह कर लिया हो;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति को नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शादी से संबंधित उद्घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा:

बशर्तें सक्षम प्राधिकारी सहमत हों कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह में दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, इस विनियम के संचालन से किसी भी व्यक्ति को छूट दी जा सकती है।

8. नियुक्ति में छूट- इन विनियमों में किसी प्रावधान के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि अनुबंध/ अनुबंध के माध्यम से नियुक्ति को अनुमोदित कर सकते हैं जब तक कि फीडर ग्रेड में पदोन्नति के लिए योग्य अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

9. भर्ती नियम-

(क) पदों, वेतन मान, आयु-सीमा, योग्यता और इसके साथ जुड़े अन्य मामलों में अनुसूची में निर्दिष्ट भर्ती की विधि प्रावधानों के अनुसार होंगे।

(ख) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पंगी उप डिवीजन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं) विज्ञापित की गई पदों की ऊपरी आयु-सीमा निर्धारित करने की तिथि होगी।

(ग) उम्मीदवारों की चयन सूची - चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकार्यता से उम्मीदवारों की एक चयन सूची जिसमें एकमेरिट सूची और एक आरक्षित सूची होगी, तैयार की जाएगी। यह एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी या सक्षम प्राधिकारी इन सूचियों को विस्तारित अवधि के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(घ) उम्मीदवारों का चयन-

(क) नियुक्ति प्रस्तावपत्र चयनित उम्मीदवारों को चयन सूची में दिखाए गए योग्यता के क्रम में जारी किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार को पद भार ग्रहण करने की समय सीमा निर्दिष्ट होगी, इस समय सीमा को सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है;

(ख) नियुक्ति प्रस्तावपत्र में चयनित उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों का विवरण दिया जाएगा;

(ग) यदि चयनित उम्मीदवार नियुक्ति पत्र से पहले निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है या उम्मीदवार निर्दिष्ट अवधि के भीतर पद भार ग्रहण करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्ति प्रस्तावपत्र को रद्द किया जा सकता है;

(घ) सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियां चरित्र और पूर्ववर्तियों के सत्यापन के अधीन होंगी;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंड (ग) में निर्धारित तरीके से नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से चयन सूची में योग्यता के क्रम में नीचे दिए गए उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्तावपत्र जारी कर सकता है।

(च) नियुक्त कर्मचारी भारत या विदेश में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(छ) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नियुक्ति से पहले आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के तहत शपथ लेनी होगी।

10. सीधी भर्ती-

(क) (i) जिन पदों को भरा जाना है उनको सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाएगा;

(ii) विज्ञापन में उल्लेखित आखिरी तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों या ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो कि निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अंतिम रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा;

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है।

(ख) वे अभ्यर्थी जो कि इन नियमों के तहत अनुसूची और अन्य प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं वे चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भर्ती के लिए पात्र होंगे। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से, जहां कहीं भी उचित समझते हैं, यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों को चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।

(ग) सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक से, चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल बना सकते हैं। ऐसे किसी भी तैयार पैनल की वैधता उसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(घ) यदि कोई विभागीय उम्मीदवार सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो पद को सीधे भर्ती से भरा माना जाएगा।

(ङ) खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से, इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख में खाद्य प्राधिकरण की सेवाओं में अनुबंध पर कार्यरत सभी व्यक्तियों को सीधे भर्ती में निर्दिष्ट ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है और उन्हें प्राधिकरण के कार्य में लगे होने के कारण चयन में महत्व दिया जा सकता है।

11. आमेलन-

(क) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी नियंत्रित या वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थानों के उम्मीदवारों को आमेलन के आधार पर नियुक्त निम्न शर्तों के पूरा होने पर किया जा सकता है।

(i) उम्मीदवार के पास अनुसूचि में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए; तथा

(ii) उम्मीदवार ने जिस पद के लिए आवेदन दिया है उस पद के समतुल्य पद धारित करता हो

(ख) सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी रूप से खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को आमेलित कर सकते हैं:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति खाद्य प्राधिकरण में आमेलित तब ही किया जाएगा, जब कि वह व्यक्ति,-

- (i) खाद्य प्राधिकरण में समांमेलित होने के प्रस्ताव दिये जाने पर खाद्य प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित होने के अपने विकल्प को लिखित में दे और
 - (ii) इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो और खाद्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम दो वर्ष पूरे कर चुका हो।
- (ग) सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (क) और (ख) उपरोक्त में निर्दिष्ट व्यक्तियों के आमेलन के लिए विचार कर सकते हैं,-
- (i) चयन समिति की सिफारिश पर और खाद्य प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता होने पर; और
 - (ii) ऐसे व्यक्ति के मूल कार्यालय के साथ परामर्श से;
 - (iii) ऐसे व्यक्ति को अपने मूल पद से इस्तीफा देने और उसके मूल संगठन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद प्राधिकरण में समांमेलित किया जाएगा
 - (iv) आमेलन की कोई भी ऐसी संभावना विज्ञापन में दर्शायी जाएगी।

12. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)-

(क) इन नियमों के तहत खाद्य प्राधिकरण में अल्पावधि अनुबंध सहित बाह्य विभाग सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर की गई सभी नियुक्तियां पहली बार में तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक एवं उनके द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार के प्रदर्शन, मूल्यांकन और मूल विभाग के साथ परामर्श के आधार पर सरकार के नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण में अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर प्रतिनियुक्ति को तत्काल आमेलन के नियम से छूट दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय और विभागों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठनों या संस्थानों के उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है, बशर्ते कि वे इन नियमों और विषयों की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, अर्थात्:-

- (i) अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों, और
- (ii) जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उस पद के समतुल्य पद धारित करते हों या उक्त पद से नीचे के पद पर प्रतिनियुक्ति पद या उसके समतुल्य पद पर पदोन्नती के लिए आवश्यक सेवा काल पूरा किया हो।

(ग) विभागीय उम्मीदवार जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे अन्य संवर्ग के पदों जिसके लिए वे फीडर ग्रेड अधिकारी नहीं हैं, को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) यदि कोई कर्मचारी किसी भी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो ऐसे कर्मचारी की सेवा की शर्तें और नियम मौजूदा सरकार के नियमों के तहत शासित होंगे।

13. पदोन्नती के द्वारा नियुक्ति.-

(क) पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति जो विभिन्न श्रेणी के अनुसूची में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, निम्न या फीडर ग्रेड से उनके वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति की सीधी पंक्ति में अगले उच्च पद तक रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। इस विषय पर सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाएगा।

(ख) वरिष्ठता- वरिष्ठता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठता के सामान्य निर्देशों या सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा और स्थानांतरीकी वरिष्ठता का निर्धारण, तथापि, ऐसे आमेलन की तारीख से पहले किए गए अगले उच्च ग्रेड में किसी भी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा;

14. अनुबंध नियुक्ति -

(क) सक्षम प्राधिकारी एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों को सामान्य माध्यम से रिक्त पदों को भरने में विफलता से उत्पन्न अंतरिम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रवेश योग्यता पर, समकक्ष स्वीकृत पदों और नियमों और शर्तों के अनुरूप के साथ अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते इस तरह की नियुक्तियों की कुल संख्या स्वीकृत पदों के भीतर हो और स्वीकृत पदों की कुल संख्या में से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(ख) प्राधिकरण, खाद्य प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित, प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से और शर्तों के अनुसार, अन्य विषयों के लिए खुले बाजार से ऐसे सलाहकारों की सेवाएं ले सकता है, जो कि भर्ती विनियमों में शामिल नहीं हैं और जहां ऐसे कार्यों में विशेष कौशल और दक्षता आवश्यक हैं। इस तरह की नियुक्तियां स्वीकृत पदों से अधिक और ऊपर होंगी, लेकिन कुल स्वीकृत पदों के किसी भी समय पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती हैं।

(ग) उपरोक्त उप-नियमन (क) और (ख) के तहत सलाहकारों की नियुक्ति की अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी और इसके बाद स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

(घ) अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड (उप-नियमन (क) और (ख) में) मोटे तौर पर इन नियमों के साथ संरेखित किया जाएगा और इस तरह के प्रत्येक मामले में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(ड) अनुबंध के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को उस पद के खिलाफ धारणाधिकार का कोई प्रावधान नहीं होगा।

15. चयन -

(क) पदों के लिए नियुक्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समितियों के माध्यम से की जाएगी।

(ख) चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा। यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर पैनल से कोई चयन नहीं किया जाता है, तो एक नया पैनल तैयार करने के लिए एक नई समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति पूर्व पैनल में शामिल नामों पर भी विचार कर सकती है।

(ग) इस प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का उल्लेख अनुसूची में किया जाएगा, लेकिन विशेष विषयों में उच्च विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम अवधि का अनुभव में रियायत दी जा सकती है, बशर्ते वह चयन समिति द्वारा लिखित में दर्ज किया गया हो। रियायत के प्रावधान रिक्ति परिपत्र या विज्ञापन में शामिल किए जाएंगे।

16. छूट की शक्ति - इन भर्ती नियमों के प्रावधान में छूट की शक्ति केंद्र सरकार के साथ समाहित होगी।

17. व्याख्या-यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के लिए लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यकारी निदेशक	*21 (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क	वेतन स्तर 14 (₹.1,44,200- 2,18,200)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

¹कार्यकारी निदेशक के 02 पद, जिनमें से एक पद मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी के एक स्वीकृत पद की जगह समान वेतन स्तर में केवल पदनाम में परिवर्तन करके होगा और एक पद वेतन स्तर 13क में वैज्ञानिक समूह-IV(5) के स्वीकृत पद की जगह होगा।

परिचीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की स्थिति में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण होगा	विभागीय पदोन्नति समिति होने पर उसका गठन	वे स्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/विश्वविद्यालय/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 13 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जिन्हें प्रशासन, वित्त अथवा/ और सतर्कता का 10 वर्ष का अनुभव हो।	खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष, एफएसएसए आई-अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि –सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सलाहकार	*42 (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा,समूह क,गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 14 (1,44,200-2,18,200)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/ मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/ विभाग में वेतन स्तर 13 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (iii) जो किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव	खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i)अध्यक्ष, एफएसएसए आई-अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई– सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (v) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

²समान वेतन स्तर में मुख्य पी.ए.क्यू.ए अधिकारी और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के 02 स्वीकृत पदों, वेतन स्तर 15 में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के 01 स्वीकृत पद और वेतन स्तर 13क में वैज्ञानिक समूह-IV(5) के 01 स्वीकृत पद की जगह पदनामों में परिवर्तन करके सलाहकार के 04 पद।

		<p>रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/आविष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन/जीवन विज्ञान/जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में परा-स्नातक अथवा समकक्ष हो तथा जिन्हें खाद्य विज्ञान/मानक/सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान एवं विकास कार्य का 18 वर्षों का अनुभव हो। इन 18 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षण के पद पर हो; अथवा उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा इस पैरा में ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/ अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 15 वर्षों का अनुभव हो तथा इन 15 वर्षों में से कम से कम 8 वर्ष का अनुभव किसी पर्यवेक्षण पद पर हो; और</p> <p>(iv) संबंधित क्षेत्र में उच्च स्तर का प्रकाशित अनुसंधान साहित्य।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	1 (नया पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनु-सचिवीय	<p>वेतन स्तर 13 (1,23, 100-2,15, 900) अथवा अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. (160000-258300) की रेंज में समेकित पारिश्रमिक</p>	लागू नहीं	50 वर्ष	<p>(i) किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से इंजीनियरी के किसी क्षेत्र में स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि</p> <p>(ii) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम 16 वर्षों के कार्य का अनुभव, जिसमें से कम से 10 वर्ष का अनुभव बड़े एप्लीकेशन के विकास में हो,</p> <p>(iii) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित</p>	लागू नहीं

					रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।
--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
1 वर्ष	100% सीधी भर्ती	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष, एफएसएसए आई-अध्यक्ष (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	*16 ³ (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 13 (1,23, 100- 2,15, 900)	चयन	50 वर्ष	(क)(i)मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि; और (ii)पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 15 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से विधि की उपाधि अथवा एम.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख)(i) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल	नहीं

³समान वेतन स्तर 13 में पदनाम में आंशिक परिवर्तन करके निदेशकों के 11 स्वीकृत पदों, वित्तीय सलाहकार के 01 पद और वैज्ञानिक IV(4) के 04 पदों की जगह।

					<p>प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/ कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/ आन्वेष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता आवश्यकता/जीवन विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष तथा खाद्य विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/ वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान एवं विकास कार्य का 15 वर्षों का अनुभव। इन 15 वर्षों में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव गुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो।</p> <p>अथवा</p> <p>(ग)(i) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान/मानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 12 वर्षों का अनुभव तथा इन 12 वर्षों में से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव गुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और</p> <p>(ग)(ii) संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान साहित्य।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
1 वर्ष	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200) में संयुक्त निदेशक, ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 12 अथवा मूल</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) अध्यक्ष, एफएसएसएआई - अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iv) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य</p> <p>(v) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं

		संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
संयुक्त निदेशक	*184(2017) 22 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु. 78,800-2,09,200)	चयन	50 वर्ष	(क)(i) किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; और (ii) पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 12 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम.बी.ए की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि के क्षेत्र में स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 12 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/स्वायत्त शासी/अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/आविष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता	नहीं

⁴संयुक्त निदेशक के 12 और वैज्ञानिक IV(3) के 06 स्वीकृत पदों की जगह समान वेतन स्तर 12 में पदनाम में आंशिक परिवर्तन करके संयुक्त निदेशक के 18 पद।

					<p>आवश्वासन/जीवन विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष तथा खाद्य विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/ वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान एवं विकास कार्य का 12 वर्षों का अनुभव। इन 12 वर्षों में से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो।</p> <p>अथवा</p> <p>(घ)(i) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान/ मानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 9 वर्षों का अनुभव तथा इन 9 वर्षों में से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और</p> <p>(ii) संबंधित क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान साहित्य।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
1 वर्ष	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 11 (रु. 67,700-2,08,700) में उप निदेशक, ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(i) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 11 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
उप निदेशक	*44 ⁵ (2017) 8 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 11 (रु. 67,700- 2,08, 700)	चयन	40 वर्ष	(क)(i) किसी मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; और (ii) पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 10 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: मान्यता- प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.ए. की उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा (ख) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की पूर्णकालिक उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 6 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायत्तशासी/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव। अथवा (ग) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/ कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/ आविष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता आवश्वासन/जीवन विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा	नहीं

⁵समान वेतन स्तर 11 में उप निदेशक के 30, मुख्य तकनीकी अधिकारी के 03, सूक्ष्म जैव विज्ञानी के 05 और वैज्ञानिक IV(2) के 06 स्वीकृत पदों की जगह उप निदेशक के 44 पद।

					<p>समकक्ष तथा खाद्य विज्ञान/मानक/ सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/ वैज्ञानिक संगठनों में अनुसंधान एवं विकास कार्य का 10 वर्षों का अनुभव। इन 10 वर्षों में से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो तथा खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो।</p> <p>अथवा</p> <p>(घ)(i) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि तथा खाद्य विज्ञान/मानक/सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं/वैज्ञानिक संगठनों में कार्य का 7 वर्षों का अनुभव तथा इन वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों का अनुभव ग्रुप लीडर अथवा पर्यवेक्षण पद पर हो और खाद्य विज्ञान संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित कार्य किया हो, जिसमें आयोजना, विकास और समन्वयन का कार्य शामिल हो; और</p> <p>(घ)संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान साहित्य प्रकाशित कराया हो।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500) में सहायक निदेशक/ सहायक निदेशक (तकनीकी)/खाद्य विश्लेषक ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा प्राप्त कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए:</p> <p>केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं।

		<p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 10 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक	*22 ⁶ (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56, 100- 1,77, 500)	चयन	35 वर्ष	<p>(क) किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/ और सतर्कता का कार्य देखने का 6 वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम.बी.ए की उपाधि।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से विधि स्नातक की उपाधि तथा विधिक मामले देखने का 3 वर्षों का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित सरकारी/ स्वायत्त शासी/ अनुसंधान संस्थान/ विश्वविद्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विधिक कंपनी में विधि अधिकारी के रूप में कार्य का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में</p>	नहीं

⁶वेतन स्तर 10 में सहायक निदेशक के 22 स्वीकृत पदों की जगह सहायक निदेशक के 22 पद।

					<p>सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
2 वर्ष	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 50%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 8 (रु. 47,600-1,51,100) में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 2 वर्ष की सेवा।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा मूल संवर्ग/विभाग में</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं

		<p>वेतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रशासनिक अधिकारी	*117 (2017) (नया पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 8 (रु. 47,600-1,51,100)	चयन	30 वर्ष	<p>(क) किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; और पद की अपेक्षानुसार प्रशासन, वित्त, मानव संसाधन विकास अथवा/और सतर्कता का कार्य देखने का 3वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय: मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से कार्मिक/मानव संसाधन प्रबंधन अथवा वित्त में एम.बी.ए. उपाधि।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित</p>	नहीं

*वेतन स्तर 9 में वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रयोगशाला) के 04 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 8 में वित्त एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी (अंचल) के 07 स्वीकृत पदों की जगह प्रशासनिक अधिकारी के 11 पद।

					<p>रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p> <p>टिप्पणी 3: उपर्युक्त शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव के बारे में निर्णय पद की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा, जिसका उल्लेख विज्ञापन में हर बार किया जाएगा।</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 90%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 10% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400) में सहायक ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा सहित।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(v) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(vi) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई –अध्यक्ष</p> <p>(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक	*39 ⁸ (2017) 62 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर- अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 6 (रु. 35,400- 1,12, 400)	चयन	30 वर्ष	<p>किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि;</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p>	नहीं

9	10	11	12	13
2	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 10%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।</p> <p>(ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>(क) पदोन्नति के लिए: स्तर 4 (रु. 25,500-81,100) में कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-1) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेलन के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई -अध्यक्ष</p> <p>(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य</p>	लागू नहीं

⁸वेतन स्तर 6 में सहायक के 12 स्वीकृत पदों, पुस्तकाध्यक्ष के 01 स्वीकृत पद, वेतन स्तर 6 में लेखा सहायक के 03 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 3 में प्रयोगशाला सहायक के 23 स्वीकृत पदों की जगह सहायकों के 39 पद।

		<p>वेतन स्तर 4 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिन्हें पद की अपेक्षा के अनुसार प्रशासन, मानव संसाधन विकास, अथवा/और सतर्कता संबंधी मामलों में 3 वर्षों का अनुभव हो।</p> <p>(ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-I)	*12 ^a (2017)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 04 (रु. 25,500-81,100)	चयन	25 वर्ष	<p>किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि;</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p>	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 10%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा। (ii) 90% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति के लिए: स्तर 2(रु.19,900-63,200) में कनिष्ठ सहायक ग्रेड-II के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा।	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य	लागू नहीं

^aवेतन स्तर 5 में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 12 स्वीकृत पदों की जगह वेतन स्तर 4 में कनिष्ठ सहायकों के 12 पद।

			(iii) उपनिदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-II)	*13 (2017) 13 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 02 (रु. 19,900-63,200)	चयन	लागू नहीं	किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि; टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा।	पदोन्नति के लिए: स्तर 1 (रु. 18,000-56,900) में बहु-कार्य स्टाफ के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) उपनिदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1 (नया पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूहक गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेसन द्वारा।	<p>पदोन्नति के लिए: स्तर 6(रु. 35,400-1,12,400) में हिंदी अनुवादक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 8 वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित)/आमेसन के लिए:</p> <p>केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई – अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य</p>	लागू नहीं

		<p>की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:- स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषयों के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य अथवा चयनित विषय के रूप में रखते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; और (ii) केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्था/संवैधानिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्था में हिंदी शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) के उपयोग/ अनुप्रयोग तथा अंग्रेजी से हिंदी में अथवा विलोम अनुवाद कार्य, अधिमानतः तकनीकी और वैज्ञानिक अनुवाद कार्य, का तीन वर्ष का अनुभव।</p>		
--	--	---	--	--

		अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्था/संवैधानिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्था में हिंदी और अंग्रेजी अध्यापन अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
हिंदी अनुवादक	5 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा,समूह 'ख' गैर-अनु- सचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु. 35,400- 1,12,400)	लागू नहीं	30 वर्ष	स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा चयनित विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में रखते हुए किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा चयनित विषयों के रूप में रखते हुए अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी अनिवार्य अथवा चयनित विषय के	लागू नहीं

					<p>रूप में रखते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य विषय में किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; और हिंदी से अंग्रेजी अथवा विलोम अनुवाद का मान्यता-प्रदत्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी अथवा विलोम अनुवाद कार्य का दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p>	
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p>	लागू नहीं

			(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य
--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ निजी सचिव	*3 ¹⁰ (2017) 6 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख गैर- अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 08 (रु. 47,600-1,51,100)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	100%पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन द्वारा	पदोन्नति के लिए: स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में निजी सचिव के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा। टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो (ख) प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलनके लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/ विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

¹⁰वेतन स्तर 8 में वरिष्ठ निजी सचिव के 03 स्वीकृत पदों की जगह वरिष्ठ निजी सचिव के 03 पद।

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी सचिव	17 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा,समूह ख गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा 100%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेलन द्वारा।	<p>पदोन्नति के लिए: स्तर6(रु. 35, 400-1,12,400) में निजी सहायक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पाँच वर्ष की सेवा।</p> <p>टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर विहित योग्यता पूरी करने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ख) प्रतिनियुक्ति के लिए:</p> <p>केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:-</p> <p>(क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:-</p> <p>(i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष</p> <p>(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य</p>	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
निजी सहायक	*33 ¹¹ (2017) 19 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु. 35,400-1,12,400)	लागू नहीं	30 वर्ष	(i) मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि तथा आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट और/अथवा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति की दक्षता। (ii) कंप्यूटर-साक्षर हो तथा एमएस ऑफिस और इंटरनेट इत्यादि पर कार्य करने में दक्ष हो। वांछनीय: किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा प्रतिष्ठित संस्था से कार्यालय प्रबंधन और सचिवालयी प्रक्रिया में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	लागू नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100%सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक,	लागू नहीं

¹वेतन स्तर 6 में निजी सहायक के 15 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 6में निजी सचिवों के 18 स्वीकृत पदों की जगह निजी सहायकों के 33 पद।

			<p>एफएसएसएआई – अध्यक्ष</p> <p>(ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य</p> <p>(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	*7 ¹² (2017) 2 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 02 (रु. 19,900-63,200)	लागू नहीं	25 वर्ष	<p>(i) मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी;</p> <p>(ii) मोटर कार्य-प्रणाली का ज्ञान (उम्मीदवार वाहन में छोटी-मोटी खराबियाँ दूर करने में सक्षम हो)</p> <p>(iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iv) दसवीं कक्षा पास।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।</p>	लागू नहीं

¹²वेतन स्तर 02 में ड्राइवर के 01 स्वीकृत पद और वेतन स्तर 2 में निम्न श्रेणी लिपिक/स्टोर कीपर/हिंदी टाइपिस्ट/स्टोर क्लर्क के 06 स्वीकृत पदों की जगह स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड) के 07 पद।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए; प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: किसी भी सरकारी संगठन से वेतन स्तर-1 में उन नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों में से जो कॉलम 7 में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ रखते हों।	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) उप निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
बहु-कार्य स्टाफ (एम.टी. एस)	*50 ¹³ (2017) 5 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ग, गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 01 (रु. 18,000-56,900)	लागू नहीं	25 वर्ष	मान्यता-प्रदत्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समतुल्य। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	लागू नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा 100%	नहीं	चयन समिति में निम्न- लिखित होंगे:- (i) निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) उप निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

¹³वेतन स्तर 1 में चपरासियों के 26 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 1 में प्रयोगशाला परिचर/चपरासी/दरवाना/वाचमैन/सफाई कर्मचारी के 24 स्वीकृत पदों की जगह बहु-कार्य स्टाफ (एम.टी.एस) के 50 पद।

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक निदेशक (तकनीकी)	*31 ¹⁴ (2017) 37 (तए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर- अनु- सचिवीय	वेतर स्तर 10 (रु. 56,100- 1,77,500)	चयन	35 वर्ष	मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/ कृषि विज्ञान/पशु विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/ आविष विज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन/जीवन विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष। वांछनीय योग्यताएँ उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय पर डाक्टरेट की उपाधि। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	नहीं

¹⁴वेतन स्तर 10 में सहायक निदेशक के 07 स्वीकृत पदों, वेतन स्तर 10 में वरिष्ठ विश्लेषक के 12 स्वीकृत पदों और वेतन स्तर 10 में वैज्ञानिक समूह IV (1) के 12 स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदनाम में परिवर्तन करके सहायक निदेशक (तकनीकी) के 31 पद।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	(i) पदोन्नति द्वारा 60%, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ आमेसन द्वारा (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति के लिए: स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा वाले तकनीकी अधिकारियों में से 80%;और स्तर7(रु. 44,900-1,42,400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा वाले केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों में से 20%; टिप्पणी 1: पदोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड/पद पर विहित योग्यता पूरी कर लेने की तिथि के सापेक्ष तैयार की जाएगी। टिप्पणी 2: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु विचार किए जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष से, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) प्रतिनियुक्ति के लिए: केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/ विश्वद्यालयों/मान्यता-प्रदत्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/अर्ध सरकारी, संवैधानिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों के वे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल संवर्ग/ विभाग में समतुल्य पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 8 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा उसके मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यताएँ और अनुभव रखते हों।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्य विश्लेषक	10 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु. 56,100-1,77,500)	लागू नहीं	35 वर्ष	<p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रासायनिकी अथवा जैव रासायनिकी अथवा सूक्ष्म जैव विज्ञान अथवा डेयरी रासायनिकी अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डेयरी/तिल प्रौद्योगिकी में बी.टेक उपाधि अथवा पशु विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) द्वारा संचालित खाद्य विश्लेषक खंड में परीक्षा देकर इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इंडिया) के एसोशिएट अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्रदत्त और अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य योग्यता तथा खाद्य विश्लेषण का अन्यून तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(ii) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में योग्य घोषित हो।</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के</p>	नहीं

						उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) अध्यक्ष द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
तकनीकी अधिकारी	*62 ¹⁵ (2017) 219 (तए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400) तकनीकी अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के बाद क्रमशः वेतन स्तर 8 और 9 में गैर-कार्यकारी अपग्रेडेशन दिया जा सकता है।	लागू नहीं	30 वर्ष	मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रासायनिकी/जैव रासायनिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य तेल प्रौद्योगिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/डेयरी प्रौद्योगिकी/ कृषि इंजीनियरी/पशु विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी/पोषण/ आविष विज्ञान/जन स्वास्थ्य/फल और सब्जी प्रौद्योगिकी/खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन/जीवन विज्ञान/ जन स्वास्थ्य/औषध अथवा किसी अन्य सम्बद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष। <u>अथवा</u> खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा डेयरी प्रौद्योगिकी अथवा	नहीं

¹ तकनीकी अधिकारियों के 20 स्वीकृत पदों और तकनीकी अधिकारी/प्रवक्ता, कनिष्ठ विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक (सूक्ष्म जीव विज्ञानी) के 42 स्वीकृत पदों की जगह नाम में परिवर्तन करके तकनीकी अधिकारियों के 62 पद।

						जैव प्रौद्योगिकी अथवा तेल प्रौद्योगिकी अथवा कृषि विज्ञान अथवा पशु विज्ञान अथवा जैव रासायनिकी अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में बी.ई/बी.टेक।	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई - अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई - सदस्य (iii) निदेशक, एफएसएसएआई - सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी	74 (नए पद)	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह ख, गैर-अनु-सचिवीय	वेतन स्तर 07 (रु. 44,900-1,42,400) केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तीन वर्ष और छह वर्ष पूरे कर लेने पर सतर्कता अनुमति मिलने के बाद क्रमशः वेतन स्तर 8 और 9 में गैर-कार्यकारी अपग्रेडेशन दिया जा सकता है।	लागू नहीं	30 वर्ष	(i) किसी मान्यता-प्रदत्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा डेयरी प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा तेल प्रौद्योगिकी अथवा कृषि विज्ञान अथवा पशु विज्ञान अथवा जैव रासायनिकी अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा रासायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा औषध में स्नातक उपाधि, अथवा (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई समतुल्य/मान्यता-प्रदत्त योग्यता। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताओं में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाने पर कि अनुसूचित जाति/जन	नहीं

					जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यताओं में अपने विवेकानुसार छूट दे सकता है।
--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
2 वर्ष (परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को पक्का होने के लिए किसी मान्यता-प्रदत्त संस्था अथवा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था से खाद्य प्राधिकरण द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा)	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:- (i) कार्यकारी निदेशक, एफएसएसएआई – अध्यक्ष (ii) सलाहकार, एफएसएसएआई – सदस्य (iii) निदेशक, एफएसएसएआई – सदस्य (iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यक्षीन।

टिप्पणी –नए पद बनने तक एफ.एस.एस.ए.आई 356 स्वीकृत पदों से कार्य करती रहेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं विशेषीकृत सेवायें

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नती के मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ प्रबंधक (सूप्रौ)	4 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन स्तर 12 (रु.78,800-2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.110000-रु.275000 की श्रेणी में	चयन	50वर्ष	(i)कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक / एम.टेक या किसी अन्य इंजीनियरिंग विधा/ एमसीए/प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री। (ii) कुल अनुभव के 10 से 29 वर्ष (iii) प्रासंगिक क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का	लागू नहीं

			समेकित पारिश्रमिक			<p>अनुभव।</p> <p>नोट 1: विशेष योग्यताधारी अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार छूट दी जा सकती हैं।</p> <p>नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है।</p> <p>नोट 3: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी।</p>
--	--	--	-------------------	--	--	--

परिबीधा की अवधि यदि कोई हो?	भर्ती प्रक्रिया चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाए	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / हस्तांतरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है तो इसका गठन कैसे किया गया	ऐसी परिस्थिति या जिसमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13
1 वर्ष	(i) पदोन्नति से 25%, के अभाव में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन। (ii) सीधी भर्ती द्वारा 75%	पदोन्नति के लिए: स्तर 11 (रु.67700-208700) में प्रबंधक (सूप्रौ) नियमितआधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा सहित। नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम होसे कम न होऔर उन्होंने अगले	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे: (i)मु० का० अ०-अध्यक्ष (ii)कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई- सदस्य (iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई सदस्य (iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं ।

		<p>उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन: केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी: -(क)(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 11 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रबंधक (सूप्रौ)	4(नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन स्तर 11 (रु.67,700-2,08,700) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.95000-रु.270000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	40 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा, के अभाव में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन/अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती।	<p>पदोन्नती के लिए: स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) में उप प्रबंधक (सूप्रौ)नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा।</p> <p>नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक,</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. मु० का० अ०(ii)कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं।

		<p>अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन: केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी: -(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) निम्न लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) कम्प्यूटर विज्ञान विषय में बीटेक / एम.टेक या किसी अन्य शाखा में इंजीनियरिंग / एमसीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) 7 वर्षों का कुल अनुभव</p> <p>(iii) निम्नतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>नोट:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव बुनियादी पात्रता मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएंगी।</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
उप प्रबंधक (सूप्रौ)	9 नये पद	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु.56,100-1,77,500) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 80000-रु.234000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	35वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा, के अभाव में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन/अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती।	<p>पदोन्नती के लिए : स्तर 7(रु. 44,900-1,42,400) में सहायक प्रबंधक (सूप्रौ) नियमितआधार पर नियुक्ति के बाद 3साल की सेवा।</p> <p>नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी: -</p> <p>(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 7 अथवामूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) निम्न लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:-</p> <p>(i) कम्प्यूटर विज्ञान विषय में बीटेक / एम.टेक या किसी अन्य शाखा में इंजीनियरिंग / एमसीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) 7 वर्षों का कुल अनुभव</p> <p>(iii) निम्नतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में अनुभव</p> <p>नोट:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव बुनियादी पात्रता मानदंड है। कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएंगी।</p>	<p>चयन समिति में निम्न लिखितहोंगे:</p> <p>1.मुकाअ -अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई -सदस्य</p> <p>(iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई -सदस्य</p> <p>(iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक प्रबंधक (सूप्रौ)	25 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख गैर-अनुसूचित	वेतन स्तर 07 (रु.44,900-1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 60000-रु. 1,86,000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	30वर्ष	(i) कम्प्यूटर विज्ञान विषय में वीटेक / एम.टेक या किसी अन्य शाखा में इंजीनियरिंग विधा / एमसीए / प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री (ii) 5 वर्षों का कुल अनुभव (iii) निम्नतम 3वर्षों का संबंधित क्षेत्र में अनुभव नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट 3: उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी।	लागू नहीं।

9	10	11	12	13
2 वर्ष	95%- सीधी भर्ती द्वारा 5%- पदोन्नती के द्वारा, के अभाव में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / आमेलन।	पदोन्नती के लिए : स्तर 6(रु.35400-112400) में सूप्रौ सहायक नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा। नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित	चयन समिति में निम्न लिखित होंगे: (i)कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई- अध्यक्ष (ii) मुख्य तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई सदस्य (iii)निदेशक-एफएसएसएआई (iv) मु.का.अ.महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी	लागू नहीं

		<p>अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन: केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी:- (i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 6 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।</p>	विशेषज्ञ-सदस्य	
--	--	--	----------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
सूप्रो सहायक	6 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ग गैर-अनुसचिवीय	वेतन स्तर 06 (रु.35400-112400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु. 50000-150000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	30वर्ष	(i) स्नातक (ii) संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव नोट:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक हैं और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएंगी।	

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100%-सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्न लिखित होंगे: (i) निदेशक-एफएसएसएआई-अध्यक्ष (ii) मुख्य सूचना तकनीकी अधिकारी, एफएसएसएआई सदस्य (iii) उप निदेशक, सदस्य (iv) मु.का.अ.महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रधान प्रबंधक	1 (नया पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क, गैर-अनुसूचित	वेतन स्तर 13 (रु. 1,23,100-2,15,900) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.165000-रु.280000की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	50वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री /डिप्लोमा। नोट 1:सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट-3:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक हैं और कार्यात्मक आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है जिसे, यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी।	

9	10	11	12	13
1 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयनसमिति में होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई -अध्यक्ष (ii)कार्यपालक निदेशक,	लागू नहीं।

			<p>एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iv) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि (v) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ प्रबंधक	3 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क गैर-अनुसूचित	वेतन स्तर 12 (रु.78,800-2,09,200) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.110000-रु.275000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	50वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा। नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या	

					<p>अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है।</p> <p>नोट-3:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी।</p>
--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
1 वर्ष	<p>(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>(ii) 25% पदोन्नती द्वारा, के, अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन।</p>	<p>पदोन्नती के लिए : स्तर 11(रु. 67,700-2,08,700) में प्रबंधक नियमितआधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा।</p> <p>नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/ आमेलन</u></p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी:-</p> <p>(i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 11 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद</p>	<p>चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएसएसएआई अध्यक्ष</p> <p>(ii) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iii) सलाहकार, एफएसएसएआई सदस्य</p> <p>(iii) निदेशक-एफएसएसएआई</p> <p>(iv) अध्यक्ष-एफएसएसएआई द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं

		पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।	
--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
प्रबंधक	8 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क गैर-अनुसूचित	वेतन स्तर 11 (रु.67,700-2,08,700) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.95000-रु.270000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	चयन	40वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीएअथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा। अथवा (ग) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रम / विश्वविद्यालय के तहत पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव नोट 1:सुयोग्यअभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त	

						अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट-3 उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएंगी।
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	i) 75% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25% पदोन्नती द्वारा, के, अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन।	पदोन्नती के लिए : स्तर 10(रु. 56,100-1,77,500)में उप प्रबंधक नियमितआधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा। नोट 1: अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नती हेतु विचार किये जाने पर उनके साथ उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक, अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नती के लिए परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/ आमेलन</u> केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध-सरकारी, वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी:- (i) मूलसंवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करते हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन स्तर 10 अथवा मूल संवर्ग/विभाग में उसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएसएसएआई अध्यक्ष (ii) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई सदस्य (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई सदस्य (iii) निदेशक-एफएसएसएआई (iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
उप प्रबंधक	17 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह क गैर- अनुसचिवीय	वेतन स्तर 10 (रु.56,100- 1,77,500) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.80000- रु.234000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	35वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमवीएअथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा। अथवा (ग)(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रम / विश्वविद्यालय के तहत पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। नोट 1:सुयोग्यअभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती हैं। नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट-3:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है	लागू

						और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएंगी।	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	चयन समिति में निम्नलिखित होंगे: (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएसएसएआई अध्यक्ष (ii) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई सदस्य (iii) सलाहकार, एफएसएसएआई सदस्य (iii) निदेशक-एफएसएसएआई (iv) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक प्रबंधक	8 (नये पद)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ख गैर-अनुसूचित	वेतन स्तर 07 (रु.44,900-1,42,400) या अनुभव के वर्षों के आधार पर रु.60000-रु.186000 की श्रेणी में समेकित पारिश्रमिक	लागू नहीं	30वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता / जन संचार / सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) या विपणन में विशेषज्ञता के साथ एमबीएअथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य / मनोविज्ञान / श्रम और समाज कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा। अथवा (ग)(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार / स्वशासीया सांविधिक संगठन / सार्वजनिक उपक्रम / विश्वविद्यालय के तहत	लागू नहीं

					<p>पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।</p> <p>नोट 1: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2: चयन के किसी भी स्तर पर यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव और योग्यता में इन आरक्षित पदों को भरने के लिए छूट दी जा सकती है। अगर सक्षम प्राधिकारी इन समुदाय के अभ्यर्थियों में उक्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की संभावना कम है। नोट-3:- उपरोक्त शैक्षिक योग्यता और अनुभव केवल सूचक है और इनमें कार्यात्मक आधार पर बदलाव हो सकता है, जिसे यदि कोई होगी, प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लिखित की जाएगी।</p>	
--	--	--	--	--	---	--

9	10	11	12	13
2 वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	<p>चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) कार्यपालक निदेशक, एफएसएसएआई अध्यक्ष</p> <p>(ii) निदेशक, एफएसएसएआई-सदस्य</p> <p>(iii) मु० का० अ० महोदय द्वारा नामांकित उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ-सदस्य</p>	लागू नहीं

[विज्ञापन.-III/4/असा./425/17]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

No.12/01/2010-Admn.FSSAI.—The following draft regulations, which the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or send it to the e-mail address of the Food Authority at estt@fssai.gov.in ;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period specified above shall be considered by the Food Authority.

DRAFT REGULATIONS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. -(a) These Regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Recruitment and Appointment) Regulations, 2018.

(b) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(c) They shall apply to posts specified in Schedule to these Regulations.

2. Definitions -In these Regulations unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Food Safety and Standards Act, 2006;

(b) “Central Government” means the Ministry of Health and family Welfare, Government of India;

(c) “Age” means the upper age limit as specified in Schedule ;

(d) “Appointing and Disciplinary Authority” in relation to any post under the Food Authority means, -

- i. The Chairperson of the Authority in respect of all Group ‘A’ posts of the level 14(144200-218200); and above but does not include the Chief Executive Officer;
- ii. The Chief Executive Officer of the Authority in respect of all Group ‘A’ posts of the level less than 14(Rs.144200-218200);
- iii. Executive Director (erstwhile Chief Management Services Officer) of the Authority in respect of all Group ‘B’ posts; and
- iv. the Director in-charge of establishment at Food Safety and Standards Authority of India Headquarters or Regional Offices or Laboratories of the Authority in respect of all sanctioned posts equivalent to Group-‘C’ under their respective jurisdiction

(e) “Chairperson” means the Chairperson of the Food Safety and Standards Authority of India;

(f) “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India;

(g) “Candidate” means the person who is eligible for consideration against any of the posts specified in the Schedule of these Regulations;

(h) “Contract employee” means an employee whose employment is on contract basis for a specific period;

(i) “Committee” means and includes Search cum Selection Committee, Departmental Promotion Committee, Screening or Expert Committee or Assessment Board as specified in Schedule or specific provisions under these Regulations;

(j) “Direct Appointment” means any appointment made by the Authority otherwise than by appointment by transfer on deputation including short term contract or on contractual basis in accordance with the provisions of the regulations notified by the Authority.

(k) “Deputation” means a method of recruitment where officers of Central Government Departments or State/UT Governments are appointed to post(s) in Food Safety and Standards Authority of India.

(l) “Food Authority” means Food Safety and Standards Authority of India established under sub-section 1 of section 4 of Food Safety and Standards Act, 2006 and in short the ‘Authority’;

(m) “Probation” means a person appointed to any post shall be on probation for the period as specified in the schedule.

(n) “Recognised university or educational board” means any University or Board set up under any law of central or state legislature in India and/or recognised by the University Grants Commission or any institution so authorised by the Central and State Governments for the purpose;

(o) “Short-term contract” means the method of recruitment of officers belonging to non-government bodies, such as Universities, recognised research institutions, Public Sector Undertakings to the Authority for a specified period.

(p) Words and expressions used in these Regulations but not defined, shall have the meaning as respectively assigned to them in the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) the rules/ regulations issued by Government of India, General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

CHAPTER II

CLASSIFICATION OF POSTS

3. Initial constitution. – All persons appointed in the service of the Food Authority on regular basis before the commencement of these Regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations and the service rendered by them shall be counted for the purpose of benefit of promotion and other service conditions.

4. Classification of Posts. - The posts in the Food Authority shall be classified as follows: -

Sl No.	Description.	Classification of posts.
1	Post of the Pay Level 10 or above	Group “A”
2	Post of the Pay Level 6 to Level 9	Group “B”
3	Post of the Pay Level 1 to level 5	Group “C”

5. Post, Cadres, classification and scales of pay-

(a) There shall be three Cadres in Food Safety and Standards Authority of India, namely, Scientific and Technical cadre; Administrative and Finance Cadre, and IT & other specialized Services cadre.

(b) With the approval of the Competent Authority and for reasons to be recorded in writing, posts at levels 11 to 13 can be operated as a common pool across cadres and levels, based on the requirement and availability of eligible candidates.

(c) The Cadre management of all Group ‘A’ and Group ‘B’ posts in Food Safety and Standards Authority of India shall be undertaken centrally at Headquarters of Food Safety and Standards Authority of India.

(d) The cadre management of Group ‘C’ posts shall be managed by Headquarters unless delegated to Regional Offices and Laboratories in respect of the posts under their respective jurisdiction.

(e) The classification of posts and the pay scales attached thereto shall be as specified in Schedule of these Regulations.

(6) Creation of Posts:

(a) The Food Authority shall from time to time determine the number of posts of each description in the service of the Authority.

(b) The authorities specified in column (a) of the following Table shall be empowered to create new or additional posts in the Authority of the description specified in Column (b) thereof.

TABLE

Authority	Category
(a)	(b)
Central Government	All posts carrying Pay Level 10 and above
Food Authority	All posts carrying Pay Level 1 to Pay Level 9

(c) Notwithstanding anything contained in these Regulations when a new post is created, the Authority creating such post shall specify the scale of pay (which shall not be different from the standard scales of pay adopted by the Authority) of the post, the mode or modes of appointment thereto and the qualifications and the age limits, if any, applicable thereto. Thereafter such post shall be deemed to have been included under the appropriate category in the Table set out in Schedule .

7. General conditions for appointment in the Food Authority. - The general conditions specified in sub regulations (a) to (f) shall apply to all appointments in the Food Authority.

(a) The Food Authority shall lay down the procedure for appointment and promotion;

(b) Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard;

(c) No person shall be eligible for appointment to the service of the Food Authority unless he or she has attained the age of eighteen years. There shall be no maximum age restriction for the departmental candidate for appointment to any post of the Food Authority under Direct Recruitment as specified in Schedule;

(d) No person shall be qualified for appointment to the service of the Food Authority unless he or she is,-

(i) a citizen of India.

(ii) is covered by any other category of citizenship notified by the Central Government as eligible for appointment to service under the Government:

Provided that a person shall be treated as other category of citizenship if a certificate of eligibility has been granted by the Government of India in such person's favour.

(e) No person shall be appointed to the service of the Food Authority unless he or she,-

(i) is a person bearing a good moral character and has not been convicted in the past for any offence .

(ii) Has been dismissed or removed or compulsorily retired from any Government or Public enterprise or private job or any other organisation on grounds of misconduct involving moral turpitude or otherwise.

(f) (i) No person, -

(i) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment;

(iii) Every person shall be required to furnish a marriage declaration in the prescribed format before his or her appointment:

Provided that the Competent authority may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

8. Relaxation in Appointment – Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Competent Authority may approve appointment through deputation/ short term contract/ contract basis till officers in feeder grade become eligible for promotion.

9. Recruitment Norms-

- (a) The method of recruitment to the posts, scale of pay, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in Schedule
- (b) The closing date for the receipt of applications from candidates in India (and the not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep) shall be the date for determining the upper age limit of the advertised posts.
- (c) Select list of candidates- On the recommendations of the Selection Committee, a select list of candidates in order of merit alongwith a reserve list will be prepared, as accepted by the Competent Authority which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the Competent Authority may specify.
- (d) Selection of candidates-
- (a) Offers of appointment to the candidates or the select list shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the Competent Authority;
 - (b) The letter of Offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by a candidate, prior to appointment;
 - (c) The Competent Authority may cancel the Offer of appointment if the selected candidate fails to fulfil any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified period;
 - (d) All appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents;
 - (e) Where an Offer of appointment is cancelled in the manner prescribed in clause (c) above, the Competent Authority at its discretion may issue offer of appointment to the candidate next below in the order of merit in the select list.
- (e) The employees appointed shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
- (f) Every person shall take oath under Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) before his or her appointment.

10. Direct Recruitment. -

- (a) (i) The vacancies which are to be filled up shall be widely advertised as per extant government instructions;
- (ii) Applications not received by the last date mentioned in the advertisement or which are from candidates who do not satisfy the conditions laid down shall be liable to be summarily rejected:

Provided that the Competent Authority may extend the time given for receiving the applications.

- (b) The candidates possessing the educational qualifications and experience as specified in Schedule and other provisions under these regulations shall be eligible for direct recruitment through selection process. The Competent Authority may at its discretion, where it considers desirable, also stipulate whether written examination or interview or both to be a part of the selection process.
- (c) The Competent Authority, at its discretion, may maintain a panel of names of suitable candidates as per recommendations of the Selection Committee. Any such panel of names, if prepared and maintained, shall remain valid for a period not exceeding one year from the date of its approval.
- (d) If a departmental candidate is selected for appointment to any of the posts by Direct Recruitment, the post shall be considered to be filled by Direct Recruitment.
- (e) With the approval of Food Authority, all persons on contract in the services of the Food Authority on the date of notification of these Recruitment regulations may be permitted a relaxation in the upper age limit specified for direct recruitment and may be given weightage in selection for being engaged in the work of Authority.

11. Absorption.-

- (a) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be appointed on absorption basis subject to fulfilment of the following conditions: -

- (i) the candidate possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule; and
 - (ii) the candidate holds a post analogous to the post applied for.
- (b) The Competent Authority may, from time to time, by appropriate order, permanently absorb any person already appointed on deputation in the Food Authority:
- Provided that no person shall be absorbed in the Food Authority unless, such person has,-
- (i) Given in writing his option to get permanently absorbed in the Food Authority, on being called to do so by the Food Authority, and
 - (ii) Possesses minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule to these regulations and has completed atleast two years on deputation in the Food Authority.
- (c) The Competent Authority may consider for absorption the persons referred to in sub-regulations (a) & (b) above,-
- (i) On the recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Food Authority; and
 - (ii) In consultation with the parent office of such person;
 - (iii) Such person shall be absorbed in the Authority after he has tendered resignation from his substantive post and accepted by his parent organisation.
 - (iv) Any such possibility of absorption shall be indicated in advertisement.

12. Deputation (including Short Term Contract).-

- (a) All appointments made on deputation on Foreign Service Terms including short term contract in the Food Authority under these regulations shall be for a period not exceeding three years in the first instance, which may be extended as per Govt. guidelines at the discretion of the Competent Authority which shall be based on the performance appraisal of the candidate and in consultation with the parent department. The deputation in the Authority on the posts as specified in Schedule are exempted from rule of immediate absorption.
- (b) The candidates from other Ministries or Departments of the Central Government, State Governments, Universities, Public Sector Undertakings and government controlled or funded recognised research Organisations or Institutions may be taken on deputation including on short term contract in the manner as specified in these regulations and subject to fulfilment of the following conditions, namely:-
- (i) Possessing minimum educational qualifications and experience as specified in Schedule, and
 - (ii) Holding a post analogous to the post applied for or has put in minimum number of years of service rendered in the lower post required for promotion to the level of deputation post or its analogous post.
- (c) The departmental candidates who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre posts for which they are not the feeder grade officers.
- (d) If any employee proceeds on deputation to any Department or Organisation, the terms and conditions of service of such employee shall be governed under extant Government rules.

13. Appointment by Promotion.-

- (a) Appointment of regular employees by promotion who fulfil the eligibility criteria as prescribed in Schedule to different grades will be made from the lower or feeder grades to the next higher post in direct line of promotion in the order of their seniority subject to availability of vacancy and on the recommendations of Departmental Promotion Committee. The DPC will be constituted as per the extant instructions of the government on the subject.
- (b) Seniority.- The fixation of seniority shall be in accordance with the general instructions or principles of seniority laid down by the Central Government and the fixation of seniority of a transferee shall not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption;

14. Contract appointment. –

(a) The Competent Authority may appoint employees on contract basis for a specified period to meet interim requirements arising out of failure to fill vacancies through normal mode of recruitment, on entry qualification, as required for equivalent sanctioned posts and terms and conditions as required with the approval of Chairperson of the Authority

Provided that the total number of such appointments is within the sanctioned posts and restricted to five percent of the total number of sanctioned posts.

(b) The Authority may hire services of Consultants from open market for such other disciplines related to the duties entrusted to the Food Authority, where special skills and competencies, not covered in the Recruitment Regulations, are required, on terms and conditions as may be required with the approval of Chairperson of the Authority. Such appointments shall be over and above the sanctioned posts, but shall not exceed at anytime five percent of the overall sanctioned posts.

(c) The consultants, under sub regulation (a) & (b) above, may be appointed on contract basis for a period not exceeding 3 years with no claims for subsequent permanent employment.

(d) Procedure and norms for selection of appointment of employees appointed on contract is in sub regulation (a) and (b) will be broadly aligned to these regulation and decided in each case by the Chairperson of the Authority.

(e) There shall be no provision for lien against the post in which officers have been appointed on contract basis.

15. Selection. -

(a) Appointment to the posts shall be made through Selection Committees as specified in Schedule.

(b) The panel recommended by the Selection committee will be valid for one year. If no selection is made from the panel within a period of one year, a fresh Selection committee shall be constituted to prepare a fresh panel. Such a committee may also consider the names of the person in the earlier panel.

(c) The minimum educational qualifications and experience for candidates recruited through this process shall be as specified in Schedule, but the minimum period of experience may be relaxed in the case of candidates possessing expertise in highly specialised disciplines, provided it is so recorded in writing by the Selection Committee. The provision of relaxation shall be incorporated in the vacancy circular or advertisement.

16. Power of relaxation. -The power of relaxation of provision of these Recruitment regulations shall lie with the Central Government.

17. Interpretation. -If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and the decision of the Central Government shall be final.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification of Post	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or Non Selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Executive Director	*2 ¹ (2017)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	Not Applicable	NA	NA	NA

¹ 02 post of Executive Director against 01 sanctioned post of Chief Management Service Officer in the same Pay Level with change in designation only and 01 against sanctioned post of Scientist Group-IV(5) in Pay Level 13A.

Period of Probation if any?	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
NA	Deputation	Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/departments ; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre/department ; and (iii) Having 10 years experience of administration, finance or/ and vigilance matters.	Search- cum- Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI -Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Member (iii) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Advisor	*4 ² (2017)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial n-Ministerial	Pay Level 14 (Rs.1,44,200 -2,18,200)	Not Applicable	NA	NA	NA

9	10	11	12	13
NA	Deputation	Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/ Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/departments ; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 13 or equivalent in the parent cadre/department ; and (iii) Possessing Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/ Nano Technology/ Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Public Health/ Medicine or any other related disciplines with eighteen years experience of working in research and development in	Search- cum- Selection Committee shall comprise of:- (i) Chairperson, FSSAI - Chairman (ii) Chief Executive Officer, FSSAI- Member (iii) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member.	NA

²04 posts of Advisor against the 02 sanctioned posts of Chief PAQA Officer& Chief Enforcement Officer in the same Pay level, 01 against sanctioned post of Chief Scientific Advisor in Pay level 15 & 01 against the sanctioned post of Scientist Group-IV(5) in Pay Level 13A with change in name of designation.

		<p>Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety and out of the aforesaid 18years at least 9 years should be in a supervisory capacity; or Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with 15 years working experience in the Laboratories/ research institutions/ scientific organisations in the fields mentioned above in this para and out of 15 years at least 8 years should be in a supervisory capacity; and</p> <p>(iv) Published research work of high standards in related field.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Chief Technology Officer	1 (New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidated remuneration in the range of Rs. (160000-258300) depending upon year of experience	Not Applicable	50 Years	<p>(i) Bachelor's/ Master's Engineering degree in any stream from a reputed university.</p> <p>(ii) Should have a minimum of 16 years in the IT industry with at least 10. years into large application development.</p> <p>(iii) Should have at least 5 years of experience of working with the Government/ Public Sector</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	NA

9	10	11	12	13
1 Year	100% Direct Recruitment	NA	<p>Selection Committee shall comprise of:-</p> <p>(i) Chairperson, FSSAI -Chairman</p> <p>(ii) Chief Executive Officer, FSSAI- Member</p> <p>(iii) One representative nominated by MoH&FW - Member</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Director	*16 ³ (2017).	General Central Service, Group-A, Non- Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100- 2,15,900)	Selection	50 Years	<p>(a) (i) Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution; and (ii) Fifteen Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: Degree of Law or MBA degree or equivalent from a recognised university/Institution</p> <p>OR</p> <p>(b)(i) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/Nutrition/Toxicology/Nano Technology/ Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Public Health/ Medicine or any other related disciplines with fifteen years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; OR</p> <p>(c) (i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with twelve years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/safety out of which at least five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and (c) (ii) Should have published research work in related field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates</p>	No

³ 16 posts of Director against the sanctioned post of 11 Directors, 01 post of Financial Advisor and 04 posts of Scientist IV(4) all in same Pay Level 13 with partial change in name of designation.

						from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
1 Year	(i) 60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract)/ absorption (ii) 40% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Joint Director in Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying (b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 12 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii) Advisor, FSSAI- Member. (iv) One representative nominated by MoH&FW - Member (iv) One representative nominated by MoH&FW - Member (v) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Joint Director	*18 ⁴ (2017) 22(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200)	Selection	50 Years	(a) (i) Bachelor's Degree from a recognised University/Institution; and (ii) Twelve Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree or equivalent from a recognised university/Institution OR (b) Full time Degree of Law from a recognised University or institution with Twelve years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government/Autonomous body /Research Institutions /Universities/PSUs/Law firms. OR	NO

⁴ 18 posts of Joint Director against the sanctioned posts of 12 Joint Director and 06 posts of Scientist IV(3) in same Pay Level 12 with partial change in name of designation.

					<p>(c) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology/Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Public Health/Medicine or any other related disciplines with Twelve years experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination;</p> <p>OR</p> <p>(d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with Nine Years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Five years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and</p> <p>(ii) Should have published research work in related field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
1 Year	(i) 60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 40% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Deputy Director in Level 11 (Rs.67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations: :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 11 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii) Advisor, FSSAI- Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Director	*44 ⁵ (2017) 8 (New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection	40 Years	(a) Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution; and Ten Years experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree or equivalent from a recognised university/Institution OR (b) Full time Degree of Law from a recognised University or institution with Six years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government/ Autonomous body /Research Institutions /Universities/ PSUs/ Law firms. OR (c) Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/ Food Technology/Edible Oil Technology/ Microbiology/Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/ Toxicology/ Nano Technology/ Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/ Public Health/ Medicine or any other related disciplines with Ten years	No

⁵ 44 posts of Deputy Directors against 30 sanctioned posts of Deputy Director, 03 sanctioned post of Chief Technical Officer, 05 sanctioned posts of Microbiologist and 06 posts of Scientist IV(2) all in same Pay Level 11.

					<p>experience of working in research and development in Laboratory/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination;</p> <p>OR</p> <p>(d)(i) Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects with Seven Years experience of working in research and development in Laboratories/ Research Institutions /Scientific Organisations in the field of food science/ standards/ safety out of which at least Four years should be as group leader or in a supervisory capacity and should have handled food science related programmes involving planning, development and coordination; and</p> <p>(d)(ii) Should have published research work in related field.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion</p>
--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	(i)60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract)/ absorption (ii)40% by Direct recruitment	<p>(a) For Promotion: Assistant Director/Assistant Director (Technical)/ Food Analyst in Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who</p>	<p>Selection Committee shall consist of –</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman.</p> <p>(ii) Executive Director, FSSAI- Member</p> <p>(iii) Advisor, FSSAI- Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member.</p>	NA

		<p>have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre departments; or</p> <p>(ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 10 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) With six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director	*22 ⁶ (2017)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	35 Years	<p>(a) Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution; and 6 years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement.</p> <p>Desirable: MBA degree from a recognised university/Institution OR</p> <p>(b) Degree of Law from a recognised University or institution with three years experience of handling legal matters or working experience as Law Officer in a reputed Government/ Autonomous body /Research Institutions /Universities/ PSUs/Law firms.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	No

⁶ 22 posts of Assistant Director against 22 sanctioned posts of Assistant Director in Pay Level 10.

						Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion	
--	--	--	--	--	--	---	--

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 50% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract)/absorption (ii) 50% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Administrative Officer in Level 8(Rs.47,600-1,51,100) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in pay Level 8 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre/ department; or (iv) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI-Member (iii) Advisor, FSSAI- Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Administrative Officer	*11 ⁷ (2017) 18 (New Creation)	General Central Service, Group-B, Non-Ministerial	Pay Level 08 (Rs.47,600-1,51,100)	Selection	30 Years	Bachelor's Degree from a recognised University/Institution; and 3 years' experience in handling administration, finance, human resource development or/ and vigilance and accounts matters depending on the post requirement. Desirable: MBA degree from a recognised university/Institution in personnel/human resource management or Finance Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The educational qualification & experience from the above will be decided as per functional requirement of the post which shall be mentioned in the advertisement on each occasion	No

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 90% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 10% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Assistant in Level 6 (Rs.35,400-1,12,400) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chief Executive Officer - Member.	NA

⁷ 11 posts of Administrative Officer against the 04 sanctioned post of Senior Finance & Accounts Officer/ Senior Accounts Officer (Laboratories) in Pay level 9 and 07 sanctioned posts of Finance & Accounts Officer/ Admn & Accounts Officer (Zones) in pay Level 8.

		<p>service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories / Universities / Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with Six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department and</p> <p>(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.</p>		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant	*39 ⁸ (2017) 62(New Creation)	General Central Service, Group- B Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400- 1,12,400)	Selection	30 Years	Bachelor's Degree from a recognised University/ Institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No

⁸ 39 posts of Assistants against the 12 sanctioned post of Assistant in pay level 6, 01 sanctioned post of Librarian, 03 against sanctioned posts of Account Assistant in Pay Level 6 and 23 posts against sanctioned post of Laboratory Assistant in Pay level 3.

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 10% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 90% by Direct recruitment	(a) For Promotion: Junior Assistant (Grade-I) in Level 4(Rs.25,500-81,100) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service (b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/ Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre; or (ii) with Ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 4 or equivalent in the parent cadre/department and (iii) Possessing three years' experience in administration, human resource development, or / and vigilance matters depending on the post requirement. (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consists of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Assistant (Grade-I)	*12 ⁹ (2017)	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 04 (Rs.25,500-81,100)	Selection	25 Years	Bachelor's Degree from a recognised University /Institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes	No

⁹ 12 posts of Junior Assistant in Pay Level 4 against 12 sanctioned posts of Senior Laboratory Assistant in pay level 5.

						if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 10% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption (ii) 90% by Direct recruitment	For Promotion: Junior Assistant Grade-II in Level 2 (Rs.19900-63200) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	Selection Committee shall consist of: (i) Director, FSSAI- Chairman. (ii) Joint Director FSSAI - Member (iii) Deputy Director- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chief Executive Officer - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Assistant (Grade-II)	*13 (2017) 13 (New Creation)	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 02 (Rs.19900-63200)	Non-Selection	NA	Bachelor's Degree from a recognised University /Institution Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 100% Promotion failing which Deputation (including short-term contract) / absorption	For Promotion: MTS in Level 1 (Rs.18,000-56,900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully	Selection Committee shall consist of: (i) Director, FSSAI- Chairman. (ii) Joint Director FSSAI - Member (iii) Deputy Director- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be	NA

		completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service	nominated Chief Executive Officer - Member.	
--	--	---	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (OL)	1 (New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	NA	NA	NO

9	10	11	12	13
2 Years	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) / absorption	<p>(a) For Promotion: Hindi Translator in Level 6(Rs.35,400-1,12,400) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) with 2 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay Level 8 or equivalent in the parent cadre/department; or (i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or (i) With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience :- Masters degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p>	<p>Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI - Member (iii) Advisor, FSSAI-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.</p>	NA

		<p>OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(ii) Three years's experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central/State Government/ Autonomous Body/Statutory Organization/ PSU/Universities or educational institutions</p> <p>OR</p> <p>Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Governments/ Autonomous Body/ Statutory Organization/ PSUs/ Universities or recognized research or educational institutions</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Hindi Translator	5 (New creation)	Group-'B' Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400-1,12,400)	Not Applicable	30 Years	<p>Masters degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of</p>	

						<p>examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	---

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct recruitment	NA	<p>Selection Committee shall consist of: (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Director, FSSAI - Member (iii) Joint Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Private Secretary	*3 ¹⁰ (2017) 6(New Creation)	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 08 (Rs.47,600-1,51,100)	Selection	NA	NA	NO

9	10	11	12	13
NA	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) / absorption	<p>(a) For Promotion: Personal Secretary in Level 7(Rs.44,900-1,42,400) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post. Note 2: Where juniors who have completed their</p>	<p>Selection Committee shall consist of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member</p>	NA

¹⁰ 03 posts of Senior Private Secretary against 03 sanctioned post of Senior Private Secretary in Pay Level 8.

		<p>qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>(b) For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department.</p>		
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Personal Secretary	17 (New Creation)	Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection	NA	NA	NO

9	10	11	12	13
NA	100% by promotion failing which deputation (including short-term contract) / absorption	<p>(c) For Promotion: Personal Assistant in Level 6(Rs. 35,400-1,12,400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>(d) For Deputation Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department.</p>	<p>Selection Committee shall consists of:-</p> <p>(i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI - Member (iii) Director, FSSAI - Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Personal Assistant	*33 ¹¹ (2017) 19 (New Creation)	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35,400-1,12,400)	Not Applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree from a recognised University/ institution with proficiency in shorthand (80 WPM) and typing (40 WPM - English) and/ or (35 WPM-Hindi) (ii) Should be computer literate and proficient in using MS Office and internet etc. Desirable: Diploma or certificate in office management and secretarial procedure or equivalent from a recognised or reputed institution. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	NA

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct recruitment	NA	Selection Committee shall consist of:- (i) Executive Director, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

¹¹ 33 posts of Personal Assistant against 15 sanctioned post of Personal Assistant in Pay Level 6 and 18 sanctioned post of Private Secretary in Pay Level 6.

1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	*7 ¹² (2017) 2 (New Creation)	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 02 (Rs.19,900-63,200)	Not Applicable	25 Years	(i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle) (iii) Experience of driving a motor car for atleast 3 years; and (iv) Pass in 10 th Standard Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	NA

9	10	11	12	13
2 Years	Deputation/ Absorption failing which by Direct Recruitment. For armed forces Personnel: Deputation/ Re-employment.	Deputation/ Absorption: From amongst the regular Staff Car Driver in Pay Level -1 in any Government Organization and who fulfill the necessary qualification as mentioned in column 7	Selection Committee consists of:- (i) Director, FSSAI- Chairman. (ii) Joint Director FSSAI – Member (iii) Deputy Director- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Multi Tasking Staff (MTS)	*50 ¹³ (2017) 5 (New Creation)	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 01 (Rs.18,000-56,900)	Not Applicable	25 Years	Matriculation or equivalent from recognised board Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	

¹² 07 posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade) 01 sanctioned post of Driver in Pay Level 02 and 06 sanctioned post of LDC/Store Keeper/Hindi Typist/Store Clerk in Pay Level 2.

¹³ 50 posts of Multi Tasking Staff (MTS) against 26 sanctioned posts of Peons in pay Level 1 and against 24 sanctioned posts of Laboratory Attendant/Peon/Durwan/Watchman/Sweeper in Pay Level 1.

						<p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct recruitment	NA	<p>Selection Committee consists of: - (i) Director, FSSAI- Chairman. (ii) Joint Director FSSAI - Member (iii) Deputy Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer – Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Director (Technical)	*31 ¹⁴ (2017) 37(New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection	35 Years	<p>Masters' Degree or equivalent from a recognised university or institution in field of Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/ Edible Oil Technology/ Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Sciences/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/Nano Technology/Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Medicine/Public Health or any other related disciplines.</p> <p>Desirable qualification:- Doctorate Degree in any of the aforesaid subjects Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	NO

¹⁴ 31 posts of Assistant Director (Technical) against 07 sanctioned posts of Assistant Director in pay Level 10, against 12 sanctioned post of Senior Analyst in Pay Level 10 and against 12 sanctioned posts of Scientist Group IV (1) in Pay Level 10 with change in name of designation.

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 60% by Promotion failing which Deputation (including short-term contract)/ absorption (ii) 40% by Direct recruitment	<p>For Promotion: 80% from Technical Officer in Level 7(Rs.44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and 20% from CFSSO in Level 7 (Rs.44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in their respective grade/post.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations :</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 8 or equivalent in the parent cadre/department; or (ii) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii)With eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.</p>	Selection Committee shall consist of – (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii) Advisor, FSSAI- Member. (iv)One expert of appropriate level to be nominated Chairperson - Member.	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Food Analyst	10 (New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Not Applicable	35 Years	(i) Master's degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or Bachelor of Technology in Dairy/Oil or degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the	No

						Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and (ii) Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	100% by direct recruitment	NA	Selection Committee consists of :- (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Executive Director, FSSAI- Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson – Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Technical Officer	*62 ¹⁵ (2017) 219(New Creation)	General Central Service, Group-B Non- Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900- 1,42,400) The Technical Officer on completion of 3 rd Year and 6 th Year may be granted non- functional upgradation in pay Level 8 and 9 respectively subject to their vigilance clearance.	Not Applicable	30 Years	Masters' Degree from a recognised university or institution in Chemistry/Bio chemistry/Food Technology/Edible Oil Technology/Microbiology/ Dairy Technology/ Agriculture Engineering/ Veterinary Science/ Bio-technology/ Nutrition/Toxicology/ Public Health/ Fruit & Vegetable technology/ Food Safety & Quality Assurance/ Life Science/Medicine or any other related disciplines <u>OR</u> BE/B.Tech in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology Note 1: Qualifications are	No

¹⁵ 62 posts of Technical Officers against 20 sanctioned posts of Technical Officer and against 42 sanctioned posts of Technical Officer/ Lecturer, Junior Analyst, Junior Analyst (Microbiologist) with change in name of designation.

						relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--	--	--	--	---	--

9	10	11	12	13
	100% by direct recruitment	NA	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Central Food Safety Officer	74 (New Creation)	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) The Central Food Safety Officer on completion of 3 rd Year and 6 th Year of may be granted non-functional pay Level 8 and 9 respectively subject to their vigilance clearance.	Not Applicable	30 Years	(i) Degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a recognized University, or (ii) any other equivalent/ recognized qualification notified by the Central Government. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No

*Subject to variation dependent on workload.

Note- FSSAI will continue to operate against 356 sanctioned posts till creation of new posts.

9	10	11	12	13
2 Years (During the period of probation Direct Recruits shall have to successfully complete training as specified by the Food Authority in a recognized institute or Institution approved for the purpose for confirmation)	100% by direct recruitment	NA	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman (ii) Advisor, FSSAI- Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

Information Technology & Specialized Cadre

Name of Post	Number of Post	Classification of Post	Level in Pay Matrix	Whether Selection Post or Non Selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Manager (IT)	4 (New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000-Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	(i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Relevant field. (ii) 10 to 29 years of total experience (iii) minimum 5 years' experience in relevant field. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification &	NA

						experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Period of Probation if any?	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
1 Year	(i) 25% by promotion failing which deputation (including short term contract)/ absorption. (ii) 75% by direct Recruitment	For Promotion: Manager (IT) in Level 11(Rs. 67700-208700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 11 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (iii) Executive Director, FSSAI-Member (iii) CTO, FSSAI-Member. (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Manager (IT)	4(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700) or Consolidated remuneration in the range of Rs.95000-Rs.270000 depending upon years of experience	Selection	40 Years	NA	NA

9	10	11	12	13
2 Years	By 100% promotion failing which deputation(including short term contract) / absorption / Direct Recruitment on contract basis	<p>For Promotion:</p> <p>Deputy Manager (IT) in Level 10(Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>For Deputation (ISTC)/ Absorption:</p> <p>Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or</p> <p>(i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience :-</p> <p>(i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Revelant field</p> <p>(ii) 7 Years of total experience</p> <p>(iii) minimum 5 years' experience in relevant field.</p> <p>Note:- The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.</p>	<p>Selection Committee for shall consists of:</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Executive Director, FSSAI-Member</p> <p>(iii)CTO, FSSAI-Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Manager (IT)	9(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) or Consolidated remuneration in the range of Rs.80000-Rs.234000 depending upon years of experience	Selection	35 Years	NA	NA

9	10	11	12	13
2 Years	By 100% promotion failing which deputation (including short term contract) / absorption / Direct Recruitment on contract basis	<p>For Promotion: Assistant Manager (IT) in Level 7(Rs. 44,900-1,42,400) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or</p> <p>(i) With three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 7 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience :-</p> <p>(i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Revelant field</p> <p>(ii) 7 Years of total experience</p> <p>(iii) minimum 5 years' experience in relevant field.</p> <p>Note:- The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.</p>	<p>Selection Committee for shall consists of:</p> <p>(ii) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Executive Director, FSSAI- Member</p> <p>(iii)CTO, FSSAI-Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Manager (IT)	25(New Creation)	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) or Consolidated remuneration in the range of Rs.60000-Rs.186000 depending upon years of experience	Selection	30 Years	(i) B. Tech/ M. Tech in Computer Science or any other Engineering Discipline/ MCA/Bachelors Degree in Relevant field. (ii) 5 Years of total experience (iii) minimum 3 years' experience in relevant field Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	NA

9	10	11	12	13
2 Years	95%- Direct Recruitment 5%- Promotion failing which deputation(including short term contract) / absorption	For Promotion: IT Assistant in Level 6(Rs. 35400-112400) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:- (a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 6 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.	Selection Committee shall consist of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman (ii) CTO, FSSAI-Member (iii) Director, FSSAI- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
IT Assistant	6(New Creation)	General Central Service, Group-C Non-Ministerial	Pay Level 06 (Rs.35400-112400) or Consolidated remuneration in the range of Rs. 50000-150000 depending upon years of experience	Not Applicable	30 Years	(i) Bachelor's Degree. (ii) 2 Years of experience in relevant area. Note:- The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	

9	10	11	12	13
2 Years	100%-Direct Recruitment	NA	Selection Committee shall consist of: (i) Director, FSSAI- Chairman. (ii) CTO, FSSAI - Member (iii) Deputy Director- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Principal Manager	1(New Creation)	General Central Service, Group-A, Non-Ministerial	Pay Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900) or Consolidated remuneration in the range of Rs.165000-Rs.280000 depending upon year of experience	Not Applicable	50 Years	<p>Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute</p> <p><u>OR</u></p> <p>Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.</p>	

9	10	11	12	13
1 Year	100% Direct Recruitment	NA	<p>Selection Committee for shall consists of:</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman.</p> <p>(ii) Executive Director, FSSAI- Member</p> <p>(iii) Advisor, FSSAI- Member.</p> <p>(iv) Representative of Ministry of Health and Family Welfare</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Manager	3(New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) or Consolidated remuneration in the range of Rs.110000-Rs.275000 depending upon years of experience	Selection	50 Years	Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute <u>OR</u> Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	

9	10	11	12	13
1 Year	(i) 75% Direct Recruitment (ii) 25% Promotion failing which by deputation (including short term contract) / absorption.	For Promotion: Manager in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI-Member (iii)Advisor, FSSAI-	NA

		<p>completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/ Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 11 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.</p>	<p>Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member</p>	
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
Manager	8(New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 11 (Rs.67,700-2,08,700) or Consolidated remuneration in the range of Rs.95000-Rs.270000 depending upon years of experience	Selection	40 Years	<p>Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute</p> <p><u>OR</u></p> <p>Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute</p> <p>(c)(i) Master's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute</p> <p>(ii) Five years professional experience in a Library under Central/State Govt./Autonomous or Statutory Organisation/ PSU/ University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled</p>	NA

						<p>Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.</p>
--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	(i) 75% Direct Recruitment (ii) 25% Promotion failing which by deputation(including short term contract) / absorption	<p>For Promotion: Deputy Manager in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service</p> <p>For Deputation (ISTC)/ Absorption: Officers of the Central Government/State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (i) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Level 10 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for Direct Recruitment under column 7.</p>	<p>Selection Committee for shall consists of:</p> <p>(i) Chief Executive Officer, FSSAI-Chairman.</p> <p>(ii) Executive Director, FSSAI-Member</p> <p>(iii) Advisor, FSSAI- Member.</p> <p>(iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member</p>	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy Manager	17(New Creation)	General Central Service, Group-A Non-Ministerial	Pay Level 10 (Rs.56,100-1,77,500) or Consolidated remuneration in the range of	Not Applicable	35 Years	(a)Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in	NA

			Rs.80000- Rs.234000 depending upon years of experience			Marketing from a recognized university or Institute <u>OR</u> (b)Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute <u>OR</u> (c)(i)Master's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute (ii)three years professional experience in a Library under Central/State Govt./Autonomous or Statutory Organisation/ PSU/ University. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.	
--	--	--	--	--	--	--	--

9	10	11	12	13
2 Years	100 % Direct Recruitment	NA	Selection Committee for shall consists of: (i) Chief Executive Officer, FSSAI- Chairman. (ii) Executive Director, FSSAI- Member (iii)Advisor, FSSAI- Member. (iv)One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson - Member	NA

1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Manager	8(New Creation)	General Central Service, Group-B Non-Ministerial	Pay Level 07 (Rs.44,900-1,42,400) or Consolidated remuneration in the range of Rs.60000-Rs.186000 depending upon years of experience	Not Applicable	30 Years	<p>A.(i)Post Graduate Degree/Diploma (Full Time courses) in journalism/ Mass communication/ Public Relation or MBA with specialization in Marketing from a recognized university or Institute</p> <p><u>OR</u></p> <p>(ii)Post Graduate Degree/Diploma in Social Work/psychology/Labour and Social Welfare from a recognized university or Institute</p> <p><u>OR</u></p> <p>B.(i)Bachelor's degree in Library Sciences or Library and Information Science of a recognized University or Institute</p> <p>(ii)Two years professional experience in a Library under Central/State Govt./Autonomous or Statutory Organisation/ PSU/ University.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> <p>Note 3: The aforesaid educational qualification & experience is indicative and may undergo change as per functional requirement which shall be mentioned in the advertisement on each occasion.</p>	NA

9	10	11	12	13
2 Years	100% direct recruitment	NA	Selection Committee shall consists of: (i) Executive Director, FSSAI – Chairman (ii) Director, FSSAI- Member (iii) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chief Executive Officer- Member	NA

ISTC – Including Short Term Contract

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./425/17]